ग्राम पंचायत दारट बगला, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग—एक

1 **(क) प्रस्तावनाः—** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04. 2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत दारट बगला, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखों का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः—

प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री सुनील कुमार	01.04.13 से 22.1.16
2	श्रीमती कुसुम ठाकुर	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री मोहन सिंह	01.04.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत दारट बगला, विकास खण्ड द्रंग के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7	गृहकर व अन्य विविध आय का सम्भावित गबन/दुर्विनियोजन बारे	0.46
2	9	गृहकर से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव न करना	—
3	10	अनुदान राशि का अवरोधन	13.60
4	11	प्राप्त अनुदान राशि से अधिक व्यय	0.84
5	13	मजदूरी के रूप में किये गये भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	2.14
6	14	बैंक से व्यय से अधिक राशि की निकासी करना	0.01

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत दारट बगला, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 29.7.2016 से 4.8.2016 तक उक्त ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्र0सं0	वर्ष	आय की विस्तृत जाँच हेतु चयनित मास	व्यय की विस्तृत जाँच हेतु चयनित मास
1	2013–14	05/2013	10/2013
2	2014–15	02/2014	04/2014
3	2015–16	02/2016	09/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना/अभिलेख उपलब्ध न करवाये जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत दारट बगला, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/– (छः हजार मात्र) बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 113/2016 दिनांक 04.08.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत दारट बगला से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत दारट बगला, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1 व 2** पर भी दिया गया है।

(i) स्व स्त्रोत व विभिन्न अनुदान

वर्ष	अथशेष	प्राप्तियाँ			व्यय		
		स्वस्त्रोत	विभिन्न अनुदान	योग	स्वस्त्रोत	विभिन्न अनुदान	अन्तिम शेष
2013–14	992651.30	87677	726055	1806383.30	1800	760565	1044018.30
2014–15	1044018.30	56275	716060	1816353.30	6501	407853	1401999.30
2015–16	1401999.30	71721	1887325	3361045.30	13388	1021387	2326270.30

(ii) मनरेगा

वर्ष	अथशेष	प्राप्तियाँ	योग	व्यय	अन्तशेष
2013–14	47418	2336526	2383944	2380009	3935
2014–15	3935	1560455	1564390	1564390	शून्य
2015–16	–	1545545	1545545	1545545	शून्य

5 रोकड़ बही का रख रखाव नियमानुसार न करने के सन्दर्भ में:–

ग्राम पंचायत दारट बगला, विकास खण्ड द्रंग द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। रोकड़वहियों में अथशेष व अन्तशेष नहीं लिखे जा रहे हैं एवं न ही रोकड़ बहियों में प्रत्येक दिन की आय व व्यय उपरान्त शेष नहीं निकाले जा रहे है। रोकड़बहियों में सचिव के पास हस्तगत राशि का कई स्थानों पर उल्लेख नहीं किया गया है एवं न ही रोकड़ बहियों में कुल पृष्ठ सम्बन्धित प्रमाण पत्र दिया गया है। अतः इन सभी अनियमितताओं के कारण पंचायत द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिस बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

6 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना:–

ग्राम पंचायत दारट बगला की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (बिल बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्योंकि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में प्रविष्टियाँ बैंक पास बुक अनुसार की गई है तथा इसी कारण रोकड़ बहियों व बैंक पास बुक का शेष बराबर है, जबकि नियमानुसार रोकड़ बही में प्रविष्टियाँ वास्तविक आय व व्यय के आधार पर की जानी अपेक्षित है।

7 गृहकर व अन्य विविध आय को रोकड़ बही में दर्ज न करना एवं बैंक में जमा न करवाकर ₹0.46 लाख के गबन/दुर्विनियोजन के सन्दर्भ में:–

ग्राम पंचायत दारट बगला के रसीद बुकों से सम्बन्धित अभिलेख/स्टॉक रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा रसीद बुकों का उपयोग क्रमवार न करके अपनी इच्छानुसार आगे पीछे किया गया है। अंकेक्षण द्वारा इस सम्बन्ध में पंचायत अभिलेख/स्टॉक रजिस्टर में दर्ज/उपलब्ध सभी रसीद बुकों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा निम्न वर्णित विवरणानुसार रसीद बुकों का उपयोग पंचायत की विभिन्न स्त्रोतों से आय को प्राप्त करने हेतु किया गया है किन्तु कुछ रसीदों की आय को सचिव द्वारा न तो रोकड़ बही में दर्ज किया गया है एवं न ही इस आय को पंचायत के बचत खाते में बैंक में दिनांक 31.3.2016 तक जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ रसीद बुकों को जाँच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध भी नहीं करवाया गया। सचिव द्वारा कुछ रसीदों में दिनांक का विवरण भी नहीं दिया गया है, जिस रसीद में दिनांक का विवरण दिया गया है, अन्य रसीदों द्वारा प्राप्त आय को भी उसी दिनांक/माह का माना गया है।

इस प्रकार सचिव द्वारा 04/2013 से 03/2016 तक कुल ₹46045/– जिसका सम्पूर्ण विवरण नीचे दिया गया है, को न तो रोकड़ बही में लिया गया है एवं न ही इस राशि को बैंक में पंचायत के बचत खाते में जमा करवाया गया है, जिससे उक्त राशि के गबन/दुर्विनियोजन की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता जिसकी विभागीय स्तर पर जाँच करवाई जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

क्र0सं0	रसीद सं0		दिनांक		वर्ष	राशि जो रोकड़ बही में नहीं दर्ज की गई	टिप्पणी
	से	तक	से	तक			
1	411201	411300	04/2013	–	2013–14	2820	रसीद संख्या 411201 से 411253 तक रोकड़ बही में दर्ज एवं 411254 से

							411300 (47X60) प्राप्त गृहकर रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया।
2	410501	410600	04/2013	—	2013—14	3000	रसीद संख्या 410501 से 410550 रोकड़ बही में दर्ज एवं 460551 से 410600 (50X60)प्राप्त गृहकर रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया।
3	410417	410433	01/2014	—	2013—14	180	आय रोकड़ बही में दर्ज नहीं है।
4	410601	410700	5.2.16	9.2.16	2015—16	5000	उक्त रसीद बुक द्वारा 2014—15 एवं 2015—16 का गृहकर प्राप्त किया गया।
5	140669	140700	12.2.16	—	2015—16	1135	रसीद संख्या 140669 से 14680 द्वारा विविध आय प्राप्त एवं 140681 से 140700 द्वारा गृहकर प्राप्त किया गया।
6	411016	411100	9.2.16	10.2.16	2015—16	4250	वर्ष 2014—15 एवं 2015—16 का गृहकर प्राप्त किया गया।
7	411501	411600	12.2.16	—	2015—16	5000	वर्ष 2014—15 एवं 2015—16 का गृहकर प्राप्त किया गया।
8	411901	412000	6/2015	2/2016	2015—16	5060	गृहकर एवं विविध आय प्राप्त की गई।
9	405001	405100	15.2.16	16.2.16	2015—16	5000	
10	405101	405200	16.2.16	17.2.16	2015—16	5000	वर्ष 2014—15 एवं 2015—16 का गृहकर प्राप्त किा गया।
11	405201	405300	17.2.16	24.2.16	2015—16	5000	
12	405401	405411	26.2.16	—	2015—16	550	गृहकर प्राप्त किया गया (405401 से 405411) एवं 405412 से आगे की प्रयोग में नहीं लाई गई है।
13	893487	893500	11.2.16	—	2015—16	700	893487 से 893500 द्वारा गृहकर प्राप्त किया गया।
14	410434	410500	10.2.16	11.2.16	2015—16	3350	प्राप्त गृहकर रोकड़ बही में दर्ज नहीं।
					योग	**46045**	

अंकेक्षण द्वारा यह जाँच उक्त वर्णित क्रमांक की रसीदों, जो स्टॉक रजिस्टर में दर्ज है तथा अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध करवाई गई, के सन्दर्भ में ही की गई है तथा इसके अतिरिक्त अन्य रसीदों द्वारा भी दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है जिस बारे में विभागीय स्त्तर पर जाँच की जानी अपेक्षित है। अतः यह मामला विभागीय उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है।

भविष्य के सन्दर्भ में यह सुझाव दिया जाता है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति रोकने हेतु पंचायत की आन्तरिक जाँच प्रणाली एवं विभागीय जाँच प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु विशेष पग उठाये जाएँ तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

8 बजट प्राकलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राकलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राकलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राकलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 ग्राम पंचायत द्वारा गृहकर से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव न करनाः–

ग्राम पंचायत दारट बगला द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा गृहकर के माँग एवं संग्रहण रजिस्टर का उचित रख रखाव नहीं किया गया है। उक्त रजिस्टर में न तो गृहकर के अथशेष दर्शाये गये हैं एवं न ही गृहकर की माँग एवं प्राप्ति का वर्षवार सम्पूर्ण विवरण दिया गया है। इन सब सूचनाओं के अथाव में दिनांक 31.3.2016 को पंचायत द्वारा गृहकर के रूप में कितनी राशि लम्बित थी एवं प्रतिवर्ष की कुल माँग व संग्रहण की जाँच वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

अतः गृहकर के माँग व संग्रहण रजिस्टर का उचित रख रखाव करते हुये वर्षवार माँग व संग्रहण के अतिरिक्त इसके अथशेष व अन्त शेष से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव सुनिश्चित करते हुए कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

10 अनुदान ₹13.60 लाख का अवरोधनः—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट—3** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹1359786 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ—साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 प्राप्त अनुदानों से ₹0.84 लाख का अधिक व्यय करनाः—

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख व उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 तक ₹84318/— **"परिशिष्ट—3"** के अनुसार प्राप्त अनुदानों से अधिक व्यय कर दी गई थी, जबकि नियमों के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि से अधिक व्यय नहीं किया जा सकता है एवं व्यय को प्राप्त अनुदान राशि तक ही सीमित किया जाना अपेक्षित था। अतः ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान राशि से अधिक किया गया व्यय ग्राम पंचायत द्वारा किस मद से किया गया था बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु मामला सम्बन्धित विभाग से उठाकर अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

12 निर्माण कार्यों के प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/— व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में लाखों रूपये का व्यय विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर किया गया है, किन्तु इन कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि यह सभी निर्माण कार्य प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति उपरान्त एवं नियमानुसार प्राकलन तैयार करने उपरान्त किये गये हैं अथवा नहीं? अतः अंकेक्षण अवधि में किये गये सभी निर्माण कार्यों की

प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

13 मजदूरी के रूप में ₹2.14 लाख के भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः—

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख की जाँच में पाया गया कि पंचायत की रोकड़ बहियों अनुसार अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में मजदूरी के रूप में ₹214103/— का भुगतान निम्नविवरण अनुसार किया गया हैः—

क्र0सं0	रोकड़ बही का विवरण	वा0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	मस्ट्रोल संख्या	अवधि	राशि
1	सामान्य (स्व स्त्रोत)	55	19.10.13	निर्माण सामुदायिक भवन, धमरेहड़	27575	1.5.13 से 31.5.13	31940
2	सामान्य	28	8.9.15	—यथोपरि—	27586	1.8.15 से 31.8.15	29920
3	सामान्य	29	8.9.15	निर्माण बावड़ी दारट भरोलू	27587	1.8.15 से 31.8.15	8965
4	मनरेगा	123	17.10.15	सिंचाई कूहल इरनाली से मकरीड़ी	2294 2295	21.9.13 से 4.10.13	23046
5	मनरेगा	123	17.10.15	कूहल हाइड्रो धमरेहड़ से मकरीड़ी	2296 2297	21.9.13 से 4.10.13	20447
6	मनरेगा	125	17.10.15	सिंचाई कूहल गोंधला नाला	2302 2303	21.9.13 से 4.10.13	14076
7	मनरेगा	130	24.10.13	सिंचाई कूहल जालपा रोड़ से मझवाड़	27579	6.10.13 से 19.10.13	2223
8	मनरेगा	139	29.10.13	सिंचाई कूहल जलपेहड़ से जालपा माता मन्दिर	27580	6.10.13 से 19.10.13	5300
9	मनरेगा	90	7.9.15	सिंचाई कूहल डगरोह	2910 2911	12.8.15 से 25.8.15	27318
10	मनरेगा	91	7.9.15	सिंचाई कूहल इरनाली से धमरेहड़	2905 2906 2907	12.8.15 से 25.8.15	50868
						योग	**214103**

पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्यों हेतु मजदूरी के रूप में किये गये भुगतान की कार्य प्रगति से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें वर्तमान अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में मजदूरों द्वारा किये गये कार्य की प्रगति एवं वास्तव में किये गये

कार्य हेतु इतनी मजदूरी देय थी अथवा नहीं, की जाँच वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः इन समस्त वाउचरों द्वारा किये गये भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित की जाए ताकि भुगतान की तदानुसार जाँच की जा सके।

14 ₹7400/– के व्यय के विरूद्ध बैंक से ₹8800/– की निकासी कर ₹1400/– का सम्भावित दुर्विनियोजनः–

ग्राम पंचायत की चयनित मासों की रोकड़ बहियों की जाँच में पाया गया कि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा निम्न वर्णित व्यय वाउचरों द्वारा वास्तविक राशि से अधिक राशि रोकड़ बही के व्यय पक्ष में दर्शाकर अधिक राशि की निकासी करके पंचायत निधि से ₹1400/– का दुर्विनियोजन कर लिया गया हैः–

क्र0सं0	रोकड़ बही का विवरण	वा0सं0	दिनांक	वास्तविक राशि	दर्शाई गई राशि	अधिक निकाली गई राशि	टिप्पणी
1	सामान्य	36	24.9.15	3400	4000	600	रोकड़ बही में बिल की ₹3400 के विरूद्ध ₹4000 दर्ज कर राशि की निकासी की गई
2	मनरेगा	30	27.4.14	4000	4800	800	₹4000 के बिल के विरूद्ध रोकड़ बही में ₹4800 दर्ज कर राशि की निकासी की गई।
					योग	**1400**	

अतः इस प्रकार कुल ₹1400/– का व्यय रोकड़ बही में अधिक दर्शाकर इस राशि का दुर्विनियोजन कर लिया गया प्रतीत होता है जिस बारे विभागीय स्तर पर जाँच कर उक्त राशि की वसूली दण्ड ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्ति से करने उपरान्त पंचायत निधि में जमा करवाई जाए तथा कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

15 ₹0.02 लाख के व्यय से सम्बन्धित भुगतान बिल जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

ग्राम पंचायत दारट बगला की रोकड़ बहियों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹2470/– का व्यय रोकड़ बहियों में दर्शाया गया है, किन्तु इन व्यय राशियों के समर्थन में भुगतान बिल जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गयेः–

क्र0सं0	रोकड़ बही का विवरण	वा0सं0	दिनांक	फर्म का विवरण	बिल नं0	दिनांक	राशि
1	सामान्य (स्व स्त्रोत)	33	15.9.15	विवरण नहीं	—	—	500
2	मनरेगा	41	2.05.14	हि0प्र0 राज्य आपूर्ति निगम	—	—	1970
						योग	**2470**

उपरोक्त वर्णित भुगतानों से सम्बन्धित बिलों का सम्बन्धित अभिलेख में उपलब्ध न होना उक्त भुगतानों के प्रति संदेह उत्पन्न करता है तथा इस व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि भुगतान हेतु फर्म के बिल/प्राप्तकर्ता के बिल का होना जरूरी था। अतः इन से सम्भावित बिल वाउचर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाएं अन्यथा इस राशि की वसूली सम्बन्धित से दण्ड ब्याज सहित करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

16 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	विविधानों के लिए रजिस्टर	1	12 (1), 27 (1)
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77 (4)
4	बजट प्राक्कलन	11, 12	37, 38
5	बिल प्राप्ति का रजिस्टर	13	48
6	गैर उपयोग्य (Non consumable) वस्तुएँ	25	72 (1)
7	स्टॉक रजिस्टर उपयोग्य (Consumable) वस्तुएँ	26	72 (1) (ख)
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1) (ग)
9	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72 (1)(घ)
10	अनुदान रजिस्टर	—	—

17 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 विविधः—

(क) ग्राम पंचायत की स्व स्त्रोत व विभिन्न अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.3.2014 को सचिव के पास ₹640/—हस्तगत राशि थी, जिसे रोकड़ बही में आगामी माह में हस्तगत राशि के रूप में नहीं ले जाया गया है तथा न ही इस राशि को बैंक में जमा करवाया गया है। अतः इस ₹640/— की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी सें दण्ड ब्याज सहित करने उपरान्त पंचायत निधि में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) ग्राम पंचायत की मनरेगा रोकड़ बही में वर्ष 2015—16 में चयनित मास से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि वाउचर संख्या 90 दिनांक 7.9.15 द्वारा "निर्माण सिंचाई कूहल सेरू रोड से जालपा" मस्ट्रोल क्रमांक 2839—2840 अवधि 11.8.15 से 24.8.15 में मजदूरी के रूप में कुल ₹14497 का भुगतान दर्शाया गया है। मस्ट्रोल की जाँच में पाया गया कि क्रम संख्या 3 में वर्णित मजदूर काशो देवी के कुल कार्य दिवस" बनते हैं, जबकि उन्हें 13 कार्य दिवस का भुगतान किया गया है। इस प्रकार दो कार्य दिवस का अधिक भुगतान किया गया है, जिसकी वसूली ₹162/— प्रतिदिन की दर से कुल ₹324/—सम्बन्धित से करने उपरान्त पंचायत खाते में जमा करवाई जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

19 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

20 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में अत्यन्त सुधार की आवश्यकता के अतिरिक्त रोकड़ बही में सम्पूर्ण आय व व्यय को दर्ज करने हेतु आन्तरिक जाँच प्रणाली को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।

हस्ता/—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (xi)9/2017—खण्ड—1—1106—1109 दिनाँकः 18.02.2017
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत दारट बगला, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता/—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.